

प्रेषक,

दानिश हसनैन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या- 4, बुलन्दशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

विषय:-

शासनादेश संख्या 1705 / दो-4-2011-45(12)91/टी०सी० लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मे मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M) उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मँहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 02.06.2020 से प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में-

महोदय,


ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 02.06.2020 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय ,न्याय कक्ष संख्या- 4, बुलन्दशहर के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण पदभार ग्रहण करने की दिनांक 02.06.2020 से तीन वृद्धि मय मँहगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थी को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 02.06.2020 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मँहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिये प्रार्थी का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर ।

दिनांक-

12.12.2020

भवदीय

(दानिश हसनैन) 12/12/2020
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या- 4, बुलन्दशहर।

संलग्नक-

01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायापति।